महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – अस्सीवां संस्करण (माह नवंबर, 2022)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. "पंचायत दर्पण पोर्टल" पर एक अध्ययन जिला जबलपुर (म.प्र.) के विशेष संदर्भ में
3. मनरेगा अन्तर्गत कूप निर्माण से स्व–सहायता समूह सदस्य फूलवंती के जीवन में आया बदलाव
4. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत गृह प्रवेशम् अभियान
5. घर पंहुच सेवा ग्राम पंचायत ने हेल्पलाईन नबंर जारी किया
6. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
7. सफलता की कहानी – हर घर नल
8. घर बनाने का सपना हुआ साकार
9. आयुष्मान भारत (निरामय) योजना में सराहनीय कार्य
10. मकान के बारे में कभी सपने में नही सोचा वह सपना हुआ साकार
11. मध्य प्रदेश में सूर्य शक्ति अभियान – सौर ऊर्जा से रोशन होंगी पंचायतें

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का अस्सीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का नौवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में सतना से 22 अक्टूबर 2022 धनतेरस के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के 4 लाख 51 हजार हितग्राहियों के ''गृह प्रवेशम'' कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल गरिमामय उपस्थिति में सहभागिता की। इस अवसर पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबी भेंटकर शुभकामनाएं दी गई। जिसे **''प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत 'गृह प्रवेशम्' अभियान''** आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

साथ ही संस्करण में **''पंचायत दर्पण पोर्टल पर एक अध्ययन जिला जबलपुर (म.प्र.) के विशेष संदर्भ में''**, **''घर पंहुच सेवा ग्राम पंचायत ने हेल्पलाईन नबंर जारी किया''**, **''मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना''**, **''मध्य प्रदेश में सूर्य शक्ति अभियान – सौर ऊर्जा से रोशन होंगी पंचायतें''** एवं सफलता की कहानियों में **''मनरेगा अन्तर्गत कूप निर्माण से स्व–सहायता समूह सदस्य फूलवंती के जीवन में आया बदलाव''**, **''सफलता की कहानी – हर घर नल''**, **''घर बनाने का सपना हुआ साकार''**, **''आयुष्मान भारत (निरामय) योजना में सराहनीय कार्य''** एवं **''मकान के बारे में कभी सपने में नही सोचा वह सपना हुआ साकार''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

"पंचायत दर्पण पोर्टल" पर एक अध्ययन जिला जबलपुर (म.प्र.) के विशेष संदर्भ में

परिचय – पंचायत दर्पण पोर्टल के बारे में

पंचायत दर्पण ऐप मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एम–गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), एम.पी. द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यह पंचायत और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में शासन के सभी पहलुओं पर वास्तविक समय और विश्वसनीय जानकारी के संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय लेनदेनः ई–भुगतान, रसीदें; विकास कार्य, शासकीय सेवकों, वेतन भुगतान, बैंक विवरण विवरण, बैंक पासबुक विवरण, ग्राम पंचायत से प्राप्त धन, निर्माण लागत का विवरण आदि, आम जनता के लिए गतिविधि को देखना पोर्टल के माध्यम से आसान बना दिया गया है। अब ग्राम पंचायत के साथ काम करना आसान, पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह है। सरकार द्वारा डिजिटाइजेशन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी पंचायतों की जानकारी भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था।

इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। इस पोर्टल पर आप अपने गांव के विकास से जुड़े रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से गांव में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में रिकॉर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको इस पोर्टल के माध्यम से

पंचायत से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे नेट के माध्यम से एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से पंचायत से जुड़े आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, आप ई–मूल्य की स्थिति, कार्य सूची और राजस्व पर्ची से जुड़े रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश के माध्यम से संचालित है।

एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल का उद्देश्य

एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मध्य प्रदेश में पंचायत के बारे में सभी जानकारी डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने घर से ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल समय और धन दोनों की बचत करता है और सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाता है। आप एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल से भी ग्राम विकास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर पंचायत के सभी विवरण प्राप्त करें।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का समग्र उद्देश्य "पंचायत दर्पण पोर्टल" पर केंद्रित है जिसमें जिला जबलपुर (म.प्र.) के क्रियान्वयकों के ज्ञान, जागरूकता और व्यवहार पर विशेष जोर दिया गया है। विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- पंचायत दर्पण पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं को समझना।
- पंचायत दर्पण पोर्टल के पदाधिकारियों की जागरूकता और ज्ञान की सीमा का आकलन और
- जबलपुर जिले की सात जनपद पंचायतों की आधारभूत सुविधाओं में अंतर का पता लगाना और यह पता लगाना कि यह संतोषजनक है या कम संतोषजनक
- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुझाए गए पोर्टल के सुधार के तरीकों को समझना।

अध्ययन के लिए कार्यप्रणाली

- अनुसंधान के उद्देश्य से जबलपुर जिले के 7 विकासखंडों की ग्राम पंचायतों को चयनित

  कर प्रत्येक विकासखंड से 15 ग्राम पंचायतों का प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है।

- प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है।

- ग्राम सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रश्नावली ग्राम सचिव और

  ग्राम रोजगार सहायक द्वारा भरी गई है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन का क्षेत्र जबलपुर जिला है जिसमें सात विकास खंड हैं – जबलपुर (बरगी), कुंडम, मझोली, पनगर, पाटन, शाहपुरा, सिहोरा।

अध्ययन के निष्कर्ष

- वर्ष 2011 से 2020 तक ग्राम पंचायत में सबसे अधिक ज्वाइनिंग हुई जिससे पता चलता है कि कितने लोगों ने सिस्टम से जुड़कर इससे परिचित होने के लिए प्रशिक्षित किया है। जो लोग ग्राम पंचायत के सदस्य होने के नाते काम करने में सहायता कर रहे हैं, उन्हें इसके तहत डिजिटल शासन से परिचित होना चाहिए, लेकिन यदि वे नए हैं तो सरकार को उनके कौशल को उन्नत करने और उन्हें डिजिटलीकरण से परिचित कराने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

• इस अध्ययन के तहत स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं से अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जो दर्शाती है कि संबंधित पंचायत में ग्राम सभा से संबंधित गतिविधियों के प्रदर्शन में उनकी सक्रिय भूमिका है।

•

उत्तरदाताओं की तकनीकी योग्यता को भी उचित महत्व दिया गया और यह पाया गया कि उनमें से अधिकांश के पास पीजीडीसीए है। पंचायत दर्पण की प्रणाली पर कार्य करने के लिए तकनीकी योग्यता के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें कंप्यूटर दक्षता की तकनीकी को समझने पर कमांड होनी चाहिए।

• अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 31–40 वर्ष के आयु वर्ग के उत्तरदाताओं से अधिकतम प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं, जो दर्शाता है कि प्रतिक्रिया में परिपक्वता और अनुभव का समावेश है।

• ई–भवन को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शेष विश्व से जुड़ने का एक मंच माना जाता है। अध्ययन का परिणाम प्राप्त करने के लिए ई–पंचायत की उपलब्धता के बारे में पूछताछ पर विचार किया गया और यह पाया गया कि अधिकांश पंचायतों में ई–भवन की उपलब्धता है।

• अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि ई–भवन में बिजली और कंप्यूटर सिस्टम की उचित उपलब्धता है लेकिन पावर बैक अप का अभाव है जो ई–भवन के समुचित कार्य में बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। राहत यह है कि वहाँ यूपीएस उपलब्ध है ताकि बिजली कटने के बाद डेटा को खो जाने से बचाया जा सके।

• पंचायत के ई–भवन में व्यवस्था के उचित कामकाज की देखभाल के लिए ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार उपलब्ध हैं। उन सभी को पंचायत दर्पण पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी है।

• अध्ययन के दौरान यह तथ्य भी निकल कर आया कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है और यहां तक कि उनमें से कुछ पंचायत दर्पण के डिजिटल प्रारूप से अच्छी तरह परिचित हैं, वे जानते हैं कि इसमें कैसे लॉगिन करना है, उन्हें विभिन्न ब्राउज़रों का उपयोग करके पोर्टल खोलने का ज्ञान है। परन्तु यह भी पाया गया कि वे पंचायत दर्पण पोर्टल के सभी मॉड्यूल से अवगत नहीं हैं।

• उन्हें ईपीओ प्रणाली के बारे में उचित समझ है; उन्होंने कहा कि पंचायत दर्पण पोर्टल से ईपीओ स्वीकृत किया जा सकता है.

• उन्हें डीएससी के बारे में जानकारी है लेकिन डीएससी के लिए, जावा सभी ब्राउज़रों का समर्थन नहीं करता है।

निष्कर्ष

• वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से पंचायत दर्पण पोर्टल के बारे में क्रियान्वयकों के ज्ञान की सीमा पर बताया गया है कि वे इसका उपयोग कैसे करते हैं।

• यह पंचायत दर्पण पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाता है और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुझाए गए पोर्टल के सुधार के तरीकों की भी व्याख्या करता है।

सुझाव

उत्तरदाताओं के साथ चर्चा के आधार पर और पंचायत स्तर पर पंचायत दर्पण पोर्टल के कामकाज को देखकर निम्नलिखित सुझाव हैं:

1. उचित प्रशिक्षणः पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के साथ चर्चा के दौरान अधिकांश उत्तरदाताओं से एक बहुत ही सामान्य सुझाव आया है कि पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल के कामकाज के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, खासकर जब अपडेट होते हैं सॉफ्टवेयर में। कार्यप्रणाली की एक नियमावली तैयार करने का भी सुझाव है जो सभी पंचायतों को उपलब्ध कराया जा सकता है और किसी भी कठिनाई के मामले में संदर्भ गाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. वित्तीय पहलुओं पर स्पष्टताः उत्तरदाताओं ने यह भी जवाब दिया कि कुछ वित्तीय पहलुओं में अभी भी स्पष्टता की आवश्यकता है जैसे व्यय और आय का शीर्ष–वार प्रदर्शन और लेनदेन की तारीखों के साथ राशियों का हस्तांतरण प्रदर्शित किया जाना चाहिए, नकदी की पुस्तक, कर रसीदें, पासबुक का अद्यतनीकरण आदि।

3. तकनीकी मुद्देः कभी–कभी कुछ तकनीकी मुद्दों जैसे ब्राउज़र और जावा सेटिंग्स, बिल और वाउचर स्कैन करते समय त्रुटि, वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी), सर्वर स्पीड आदि के कारण पोर्टल का कामकाज प्रभावित होता है। इनके लिए किसी प्रकार की हेल्पलाइन प्रदान की जानी चाहिए जहां इन मुद्दों को हल किया जा सके।

4. कार्यात्मक पहलूः उपरोक्त सिफारिशों के अलावा, कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि 9% के पास कोई कंप्यूटर नहीं है, 15% के पास बिजली नहीं है, 77% के पास कोई बैकअप नहीं है, 40% के पास कोई यूपीएस नहीं है, 59% के पास इंटरनेट नहीं है, 9% पंचायत दर्पण पोर्टल से अवगत नहीं, 52% प्रशिक्षित नहीं हैं, 16% लॉगिन और पासवर्ड के बारे में नहीं जानते हैं, 65% पंचायत दर्पण में मॉड्यूल से अवगत नहीं हैं जिन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए है और सुधार के प्रावधान की आवश्यकता है। कार्यात्मक क्षेत्र में पहचानी गई कुछ अन्य समस्याएं नल–जल–योजना के बिलों की छपाई, संपत्ति कर की राशि और शेष राशि का प्रदर्शन न करने और मॉड्यूल में कर राशि के संपादन के संबंध में हैं। इन कार्यात्मक मुद्दों को राज्य स्तर पर हल करने की आवश्यकता है।

आशीष कुमार दुबे
प्रोग्रामर

सफलता की कहानी
मनरेगा अन्तर्गत कूप निर्माण से स्व–सहायता समूह सदस्य फूलवंती के जीवन में आया बदलाव

प्रदेश के बैतूल जिले के विकासखण्ड शाहपुर के ग्राम पावरझण्डा निवासी श्रीमती फूलवंती धुर्वे अपने पति श्री कृष्णा धुर्वे के साथ खेती–किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करतीं थीं। परंपरागत खेती से फूलवंती के परिवार को इतनी आय नहीं हो पाती थी कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से हो सके। इसके बाद आजीविका मिशन के माध्यम से फूलवंती को समूह के बारे में पता चला और वह वर्ष 2018 में शिव शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई।

फूलवंती के पास खेती करने के लिये भूमि उपलब्ध थी। उपलब्ध भूमि में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं होने से फूलवंती का परिवार बरसात के पानी पर निर्भर रहता था। वह खरीफ की फसल का उत्पादन कर पाते थे। इस कारण से उत्पादन भी कम हो रहा था। फसल की उपज को बेचने के बाद जितने रूपये मिलते उससे ही पूरे साल का गुजर बसर करना पड़ता था।

वर्ष 2018 में शिव शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद फूलवंती समूह की बैठक में जाने लगी। बैठकों में उसे आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलने लगी। एक बैठक में आजीविका मिशन के अधिकारियों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कपिलधारा कूप निर्माण उपयोजना की जानकारी दी गई।

योजना की जानकारी मिलने पर फूलवंती ने अपनी ग्राम पंचायत में जाकर कपिलधारा कुआं निर्माण के लिए आवदेन दिया और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण किया। इसके बाद पंचायत द्वारा फूलवंती को कपिलधारा कूप निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई।

मनरेगा की कूप निर्माण उपयोजना से अब फूलवंती की भूमि में कूप निर्माण हो गया। कूप निर्माण होने के बाद ही फूलवंती की किस्मत बदल गई। अब

आजीविका मिशन के माध्यम से उसे सब्जी उत्पादन एवं खेती का तकनीकी ज्ञान भी आजीविका मिशन की कृषि सीआरपी के माध्यम से मिलने लगा।

फूलवंती ने पहले चरण में एक एकड़ जमीन में सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया, जिसके लिये उसने समूह से 12000 रूपये का ऋण लिया। दो माह बाद जैसे ही सब्जी निकलने लगी, उसके यहां प्रति सप्ताह कम से कम 2200 रूपये तक की आय होने लगी। वह अपने पति के साथ साप्ताहिक हाट बाजारों में दुकान लगाकर सब्जियां बेचती थी। इस प्रकार उसे 8500 से 9000 की मासिक आय होने लगी।

अप्रैल, 2021 में कोरोना महामारी के दौरान सम्पूर्ण जिले में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था एवं हाट बाजार लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। जिसके कारण फूलवंती को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि 'जहां चाह–वहां राह' इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए फूलवंती ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपने ग्राम के साथ–साथ आस–पास के ग्रामों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर–घर में सब्जी उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। जिससे उसकी आजीविका फिर से चलने लगी।

अब फूलवंती वर्ष में खरीफ के साथ–साथ रवी और गर्मी में भी फसल का उत्पादन कर रहीं हैं। जिससे उनकी आय में आशातीत वृद्धि हुई है। जिससे वे अपने परिवार का भरणपोषण भी अच्छे से कर पा रहीं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रहीं हैं। फूलवंती कहती है कि मैं और मेरा परिवार आजीविका मिशन का सदैव आभारी रहेगा। अगर समय पर मैं समूह में न जुड़ी होती तो मैं न मुझे जानकारी होती, न आगे बढ़ पाती।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत गृह प्रवेशम् अभियान

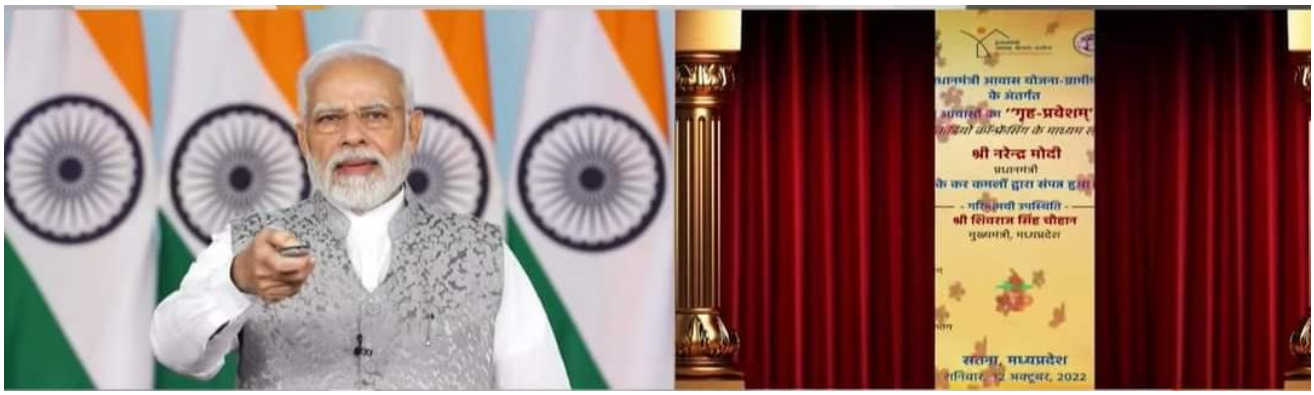

सतना से 22 अक्टूबर 2022 धनतेरस के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के 4 लाख 51 हजार हितग्राहियों के ''गृह प्रवेशम'' कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल गरिमामय उपस्थिति में सहभागिता की। इस अवसर पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबी भेंटकर शुभकामनाएं दी गई।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था, जब धनतेरस पर सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे जिनके पास संसाधन और पैसे होते थे। लेकिन आज देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं, जो आज अपने घर की मालकिन बनीं हैं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्षों में ''प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण'' के माध्यम से 3.5 करोड़ परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित हैं, इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन और जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। मुझे विश्वास है कि अब जब ये नए घर आपको मिल गए हैं, तो अपने सपनों को सच करने की नई ताकत भी मिली है, इसलिए, आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग और नया भाग्य, उसमें प्रवेश का भी है।

उन्होंने कहा, पहले अगर गरीबों के लिए घर घोषित होता भी था, तो उसे शौचालय अलग बनाना पड़ता था, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन के लिए अलग–अलग सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आज सरकार की अलग–अलग योजनाएं शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी जरूरी चीजों के साथ ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' को संपूर्ण बनाती है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन–रात काम कर रही है। इसलिए, आज इतनी बड़ी संख्या में, ये घर बन रहे हैं।

इस कार्यक्रम में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री – मध्यप्रदेश शासन, माननीय कुंवर विजय शाह जी, मत्री – वन विभाग, माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री रामखेलावन पटेल जी राज्यमंत्री – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत और नए मध्यप्रदेश का निर्माण हो रहा है, जहां गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई दवाई के साथ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने इसे सोचा ही नहीं। दीपावली के बाद मध्यप्रदेश में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। जो परिवार बड़े हो गए, सदस्य संख्या बढ़ गई और उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना के तहत जमीन और उसके पट्टे दिए जाएंगे। सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज एक लाख नये मकान स्वीकृत हुए हैं और एक लाख तैयार हो चुके हैं। केवल सतना ही नहीं, रीवा, बालाघाट और सागर में भी एक–एक लाख मकान बनाये जा चुके हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में पीएम आवास योजना के आवासों को बनाने के लिए 50 हजार से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किये गये हैं। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि इनमें से 10 हजार से अधिक बहनें राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षित की गई हैं।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

घर पंहुच सेवा ग्राम पंचायत ने हेल्पलाईन नबंर जारी किया

जिला सिवनी जनपद पंचायत धनौरा की ग्राम पंचायत साजपानी ने अपने कार्यो की पारदर्शिता एवं शिकायतों को त्वरित कार्यावाही करने हेतु ग्राम पंचायत हेल्पलाइन दिनांक 28.02.2022 से प्रांरम्भ 7067062023 किया जो एक बहुत अनुकरणीय पहल है।

ग्राम पंचायत साजपानी ने सी.एम हेल्प लाइन 181 की तर्ज पर पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की शिकायतों के निराकरण हेतु हेल्प लाइन नं. 7067062023 जारी किया। हेल्प लाइन नम्बर से आने वाली शिकायत की त्वरित कार्यवाही हेतु 2 कर्मचारियों का दायित्व सौपा गया। 3 दिन के भीतर ही निराकरण कर शिकायत समाप्त करना कर्मचारियों का दायित्व है शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी शिकायतकर्ता के घर पंहुचकर निराकरण करना दायित्व है। अभी तक पंचायत ने 9 प्राप्त शिकायत का निराकरण किया है शिकायत आने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

ग्राम साजपानी में ग्राम पंचायत की हेल्प लाइन नम्बर जारी होने पर 181 हेल्प लाइन मुख्य मंत्री शिकायत एवं आर टी आई (सूचना का अधिकार) संबधित सूचनाओं कम हो गयी है।

पंचायत के सचिव शमशेर खान का मानना हे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपना हेल्प लाइन नम्बर जारी करना स्थानीय नागरिकों की शिकायत त्वरित निराकरण करना चाहये।

ग्राम साजपानी द्वारा हेल्प लाइन नम्बर जारी कर कार्य करना एक नवाचार है सभी पंचायते ऐसा कार्य करे तो निश्चित समाज में शिकायतों का बढ़ती संख्या कम हो सकती है एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ही आम शिकायमों का निराकरण हो सकेगा।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

1. **योजना का उद्देश्य :–** योजना के दो उद्देष्य है–
   - बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालको (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना।
   - 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चो को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षको के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराना।

2. **योजना का नाम एवं विस्तार–**

योजना का नाम ''मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना'' है एवं यह संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

1. **बाल देखरेख संस्था**– योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था से अभिप्रायकिशोर न्याय अधिनियम के तहत् संचालित बालगृह से है।
2. **बालक**–18 वर्ष तक की आयु की बालक एवं बालिका से है।
3. **केयर लीवर्स**–केयर लीवर्स से अभिप्राय आफ्टर केयर में जाने वाले अथवा रखे गये 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक/युवतियों से है।
4. **निर्मुक्ति** –योजना के सदर्भ में निर्मुक्ति से अभिप्राय 18 से अधिक आयु होने पर बाल देखरेख संस्था से बालक के मुक्त होने की स्थिति से है।
5. **परिवार**–स्पॉन्सरशिप के संदर्भ में परिवार से अभिप्राय म.प्र. में निवासरत परिवार से है।
6. **बाल कल्याण समिति**– बाल कल्याण समिति से अभिप्राय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित समिति से हैजिसमें 01 अध्यक्ष व 04 सदस्य होते है।
7. **पुनर्वास सह–स्थापन अधिकारी**– पुनर्वास सह–स्थापन अधिकारी से अभिप्राय बाल देखरेख रोजगार एवं स्व–रोजगार के माध्यम से पुनर्वा करवाये जाने हेतु किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 26 के तहत घोषित अधिकारी से है।

योजना अंतर्गत सहायता, चयन के मापदण्ड एवं सहायता प्रदान करने की प्रकिया –

योजना के तहत सहायता दो प्रकार की होगी –

- आफ्टर केयर
- स्पॉन्सरशिप

4. आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता–

- आफ्टर केयर के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होगे।

- अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सबंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
- दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।
- आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

5. आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता– बाल देखरेख संस्था से निर्मुक्त हुये केयर लीवर्स को योजना अंर्तगत निम्नानुसार सहायता की पात्रता होगी–

- **इंटर्नशिप**– उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठित संस्थाओं कीपहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथा संभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
- इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी किन्तु किसी भी दशा में 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नही होगी।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण**–पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटी आई, पैरामेडिकल पाठयक्रमों नर्सिग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशलविकास आदि के तहत् दी जाने वाली शासकीय संस्थाओ में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबधित विभाग के द्वारा निःषुल्क प्रदाय किये जायेंगे।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जायेगी जो प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या दो वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 02 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नही होगी।
- **तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता –** 6NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेष करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जायेगी एवं पाठयक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। केयर लीवर्स की श्रेणी कर निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य संचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

6. आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन एवं लाभांवित किये जाने प्रकिया–

- प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक द्वारा बाल देख–रेख संस्था निवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं पहचान किये गये बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan)तैयार की जायेगी।
- औद्योगिक संस्थाओं में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की

पृथक–पृथक सूची एवं डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

- योजना अर्न्गत गठित समिति के द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जायेगे। यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही प्रति वर्ष जारी किया जायेगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी। पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे।

7. स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत पात्रता–

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम के बच्चे, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है और रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 साल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

8. स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत योजना के तहत पात्र पाये गये बच्चे को सहायता –

आर्थिक सहायता–योजना के तहत् पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4000/– प्रतिमाह की सहायता, राशि दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 01 वर्ष होगी। बालक अथवा परिवार की अर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात राशि देय नही होगी।

चिकित्सा सहायता – चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला विकास विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची एवं बाल सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

9. पोर्टल – योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल (www.balashirwadyojna.mp.gov.in) पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

- आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक के सहयोग से केयर लीवर्स के द्वारा पोर्टल पर दर्ज किये जायेगे।
- स्पॉन्सरशिप अंतर्गत लाभान्वित करने की प्रक्रिया।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उनसे कर आवेदन भरवाए। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिए जाएगे।
- जिला बाल सरक्षण इकाई द्वारा योजना के पोर्टल मे दर्ज बच्चे की गृह अध्ययन की रिपोर्ट एवं परिवार की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मध्यप्रदेश (स्पॉन्सरशिप) दिशा–निर्देश, 2020 में प्रावधानिक प्रारूप में तैयार की जायेगी।
- गृह अध्ययन की रिपोर्ट एवं परिवार की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजो की जॉच के पश्चात ऐसे बच्चों की सूची तैयार बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त सूची अनुसार बच्चो की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट न्याय अधिनियम एवं नियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुये बच्चों को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।
- योजना अंतर्गत उन्ही बच्चों को लाभ दिया जायेगा। जिन्हे बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया है। ऐसे चिन्हांकित सभी बच्चों

की सूची जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा गृह अध्ययन एवं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ उपरोक्त समिति के समक्ष अनुषसा हेतु प्रेषित किये जायेगे।

- स्पॉन्सरशिप योजना अन्तर्गत परिवार/बालक की समृद्धता का परीक्षण एवं योजना अन्तर्गत लाभ की निरन्तरता अथवा समाप्ति का निर्धारण योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही हेतु प्रति वर्ष जारी किया जाऐगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी । पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगे।

10 <u>योजनांतर्गत गठित समितियॉः–</u>

1. राज्य स्तरीय समितिः–मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति होगी जो योजना के प्रावधानों में संशोधन आर्थिक सहायता, शिक्षा के निर्धारण के लिए सक्षम होगी। राज्य स्तरीय समिति की संरचना निम्नानुसार होगी –

- मुख्य सचिव – अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य सचिव, महिला एवं बाल विकास
- अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव –सदस्य (वित्त, उद्योग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक न्याय)

2. जिला स्तर पर गठित समिति – प्रकरणों की स्वीकृति जिला स्तर पर गठित निम्नानुसार समिति द्वारा की जाएगी –

- कलेक्टर – अध्यक्ष
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – सदस्य सचिव
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
- उप संचालक, सामाजिक न्याय – सदस्य

योजना के तहत गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात आदेश समिति के सदस्य द्वारा जारी किए जाएगे।

बजट– योजना के क्रियान्वयन के लिए आष्वयक आर्थिक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा।

12. निगरानी एवं मूल्यांकन –

- आफ्टर केयर में लाभांवित केयर लीवर्स का फॉलोअप जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रति माह किया जायेगा। केयर लीवर्स का निरंतर फालोअप जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा।
- स्पॉन्सरशिप से लाभांवित बच्चों के फालोअप, मूल्याकन सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना, सामाजिक रिपोर्ट, परिवार की स्थिति का आंकलन किये जाने के उपरांत जिला बाल संरक्षण अधिकारी आर्थिक सहायता समाप्त किये जाने अथवा लाभ की निरंतरता बनाये रखने हेतु समिति को प्रेषित करेगी।
- योजना के तहत् बच्चो की मॉनिटरिंग हेतु पुनर्वास सह–स्थापन अधिकास जिम्मेदार रहेगें तथा वह पोर्टल पर नियमित डेटा प्रविष्टि, मॉनिटरिंग एवं बच्चो को रोजगार एवं स्व. रोजगार के माध्याम से पुनर्वास करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- प्रति 3 माह में जिला बाल संरक्षण इकाई केयर लीवर्स एवं बच्चे से प्राप्त समस्यायें एवं विभागीय समन्वय के मुद्दो को शमिल करते हुये योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नोडल विभाग – योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

सज्जन सिंह चौहान
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी – हर घर नल

सीहोर जिले के जनपद पंचायत बुदनी के नयागांव एवं जनपद पंचायत नसरूल्लागंज के टीकामोड़ ग्राम में जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश शासन के द्वारा स्वीकृत मरदानपुर ग्रामीण समूल जल प्रदाय योजना क्षेत्र के आसपास स्वच्छ पानी के लिए वरदान साबित हुई है। मरदानपुर ग्रामीण समूल जल प्रदाय योजना की निरंतरता बनायें रखने के लिए शासकीय एवं अशासकीय संस्था के माध्यम से ग्रामीणों में जल के प्रति जागरूकता सामुदायिक संगठिकरण एवं क्षमतावर्द्धन की गतिविधियां संचालित की गई। ग्रामीणों में जल की उपयोगिता एवं संरक्षण हेतु जागरूक किया गया। ग्रामीण को ग्राम सभा के माध्यम से जल योजना के संचालन एवं संधारण हेतु पेय जल उपसमिति का गठन किया गया । जिसमें सभी वर्ग शामिल किये गए, एवं पचास प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ग्रामीण स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। ग्राम के ही नागरिकों को पंप संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रशिक्षित किया गया। ग्राम की सरस्वती बाई द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व तालाब एवं कुएं से पानी लाना पड़ता था, जो साफ नही होने के कारण परिवार में बीमारियां होने की संभावना बनी रहती थी।

ग्राम नयापुरा से फरीदा बाई द्वारा बताया गया कि पानी की जरूत के लिए ग्राम से 2–3 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ता था। जिससे समय एवं अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब घर में नल आने से स्वच्छ एवं पर्याप्त पानी मिलता है। ग्राम की श्रीमती शीला धनवारे ने बताया कि घर में ही समय पर पानी मिलने से उन्होंने अपना नया व्यवसाय शुरू किया है, जिससे आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है। ग्राम टीकामोड़ से श्रीमती कृष्णा वर्मा ने बताया कि घर में स्वच्छ जल आने से शरीर स्वस्थ रहने लगा है और बीमारियों पर होने वाला व्यय कम हो गया है।

श्रीमती बीना वर्मा ने बताया कि गर्मीयों में पानी की कमी से काफी परेशानी होती थी, हेण्डपंप से पानी भरने में कई बार झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती थी। अब ग्राम में शांति एवं सोहार्द का वातावरण है। हर घर जल योजना

से निम्न बदलाव हुये :

1. श्रम की बचत
2. समय की बचत
3. महिलाओं के मान सम्मान में बढ़ोत्तरी
4. शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी
5. जीवन स्तर एवं सुख सुविधाओं में वृद्धि
6. पेयजल से आजीविका
7. पेयजल से स्वस्थ स्वास्थ्य

ग्राम पंचायत में नल जल समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिमाह 100/–रू (एक सौ रूपये) शुल्क वसूल किया जाता है। जिसे ग्रामीण जन प्रत्येक माह की 01 स 05 तारीख के मध्य में जमा करते है। हर घर नल योजना आने सीहोर जिले के क्षेत्र में जल क्रांति हर घर पहुंच रही है। जिसमें सभी को जल का संरक्षण करना, एवं जल का आवश्यकता अनुसार संग्रहित कर, उपयोग करें, बिना अपव्यय किये।

क्योंकि –

जल के बिना जीवन संभव नही है।
जल है तो कल है।

पानी की महिमा धरती पर, है जिसने पहचानी।
उससे बढ़कर और नहीं है, इस दुनिया में ज्ञानी।।

जिसमें ताकत उसके आगे, भरते हैं सब पानी ।
पानी उतर गया है जिसका, उसकी खतम कहानी।।

जिसकी मरा आँख का पानी, वह सम्मान न पाता।
पानी उतरा जिस चेहरे का, वह मुर्दा हो जाता।।

प्रकाश कड़वे,
संकाय सदस्य

घर बनाने का सपना हुआ साकार

प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने का सपना हुआ साकार हितग्राही रमेश भैय्यालाल के पास ग्राम आवरिया जनपद आमला में पैतृक मकान था, जो कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवाल, खपरे की छप्पर से ढका हुआ जीर्ण–शीर्ण था। ना दरवाजे ना खिड़कियाँ थी । तीन भाइयों का एक मकान किसी तरह गुजारा हो रहा था। मकान बनाने लायक आर्थिक स्थिति भी नही थी। किन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 के सर्वे के अनुसार रमेश का नाम सर्वे क्रमांक 07 पर आई डी क्रमांक 2641068 पर सूची में था। रमेश का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ तथा प्रथम किश्त प्राप्त होने पर आवास का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। प्लिंथ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर शासन से दूसरी किस्त प्राप्त हो गई एवं मनरेगा से भी मजदूरी का भुगतान हो गया। आगे का कार्य पूर्ण करने पर तीसरी किश्त भी मिल गई। इस प्रकार कुल 138000 एक लाख अड़तीस हजार रूपये प्राप्त हो गये एवं शौचालय निर्माण हेतु 12000 (बारह हजार रूपये) भी प्राप्त हो गये। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कुल 150000(एक लाख पचास हजार रूपये) प्राप्त हुये जिससे गृह निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

आवास नही बनने से पहले लगता था कि मकान कब बनेगा बन पायेगा की नही बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मकान की चिन्ता सता रही थी। किन्तु शासन की प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मेरा पक्का मकान बनाने का सपना साकार हुआ। अब मेरे पास भी पक्का मकान व उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था है। आवास बनने से मैं बहुत खुश हूँ।

तल्लीन बड़जात्या,
संकाय सदस्य

आयुष्मान भारत (निरामय) योजना में सराहनीय कार्य

ग्राम पंचायत नटेरन जिला विदिशा के ग्राम रोजगार सहायक श्री रवि नागर को 100 प्रतिशत आयुष्मान कॉर्ड बनाने पर जिला वरिष्ठ अधिकारी डॉ. हंसा शाह द्वारा सम्मानित किया गया । विदिशा जिले में आयुष्मान कॉर्ड बनाने का कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है। इस अभियान को प्राथमिकता से श्री रवि नागर प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य करते हुयें। प्रतिदिन 50 से 80 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा। जिससे 100 प्रतिशत आयुष्मान कॉर्ड बनाने में सफल हुए। जीआरएस श्री नागर प्रातः 6 बजे से ही अपने लैपटॉप के साथ वंचित पात्र हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया हैं। उन्होंने बताया कि वह ग्राम पंचायत नटेरन और घटवाई के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं।

श्री रवि नागर ने बताया कि उन्होंने अभियान अंतर्गत अभी तक 500 से 600 कार्ड बनाए हैं। जिनमें कृषि कार्य करने वाले एवं मजदूर वर्ग शामिल है।

<u>योजना का शुभारंभ एवं पात्रता की जानकारी</u>

आयुष्मान भारत योजना के तहत निरामयम का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया है। इस योजना के तहत चिंहित परिवारों को सदस्यों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिले में 52 हजार 276 ग्रामीण एवं 23 हजार 868 शहरी परिवारों को चिंहित कर लिया गया है। वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक, जातीय आधार पर हुई जनगणना के आधार पर इस योजना के तहत परिवारों को चिंहित किया गया है।

निरामयम में 1350 सेवाएं शामिल की गई हैं। जिला स्तर पर 136 सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत आरोग्यम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना में 2011 की जनगणना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के अलावा मुख्यमंत्री संबल योजना के लाभार्थी परिवार, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पर्ची धारक परिवार भी लाभ लेने के हकदार होंगे। इन्हें चिंहित शासकीय अस्पतालों, मेडिकल कालेजों एवं चिंहित निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। पीड़ितों को जिला अस्पताल में जांच कराना होगी। यदि उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो पीड़ित को भर्ती कर लिया जाएगा और यदि इलाज किसी सरकारी या प्राइवेट बड़े अस्पताल में संभव होगा तो वहां के लिए रैफर कर दिया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत कियोस्क बनाया गया है तथा आयुष्मान मित्रों की भी नियुक्ति की गई है। इनकी मदद से पात्र परिवार आयुष्मान कॉर्ड बना सकेंगे एवं शासन की योजना का लाभ ले सकेगें।

चंदकांत सिंह,
संकाय सदस्य

मकान के बारे में कभी सपने में नही सोचा वह सपना हुआ साकार

प्रस्तावना –

यह सफलता की कहानी ग्राम पंचायत मांगरौल जनपद पंचायत पंचायत सबलगढ जिला– मुरैना की है। जो कि सबलगढ विकासखण्ड से लगभग 04 कि. मी. दूर है , जिसमें हितग्राही श्री बनवारी रावत पुत्र उम्मेद अ.पि.व वर्ग का है ।

जिसे वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अन्तर्गत लाभांवित किया गया ।

पूर्व की स्थिति –

आवास पूर्ण होने कि पश्चात हितग्राही श्री बनवारी रावत पुत्र उम्मेद से चर्चा की गई जिसमें बनवारी रावत के द्वारा बताया गया कि वह लगभग 59 वर्षों से कच्चे मकान मे अपने परिवार सहित निवासरत थे । कच्चे मकान में बैठने एवं सोने के लिये पर्याप्त जगह नही थी मजदूरी से पक्का मकान तो दूर पेट भरकर खाना नही खा पाते थे। वह जो तूफान में कभी भी गिर सकता था एवं बरसात में छत से पानी टपकता था जिसके कारण हितग्राही का पूरा परिवार बरसात में परेशान होता था। उन्होने बताया कि कच्चे मकान की मरम्मत प्रत्येक बरसात मौसम में करते थे। रिश्तेदार घर पर आने में कतराते थे। इस महगांई के दौर में गरीब परिवार के लिये पक्का मकान निर्माण करना बहुत ही मुश्किल कार्य था।

वर्तमान की स्थिति –

ग्राम पंचायत मांगरोल में आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ फिर धीरे–धीरे ग्रामीणों को योजना की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें शासन द्वारा 1.20 लाख रुपये छत वाले पक्के मकान हेतु प्रदाय किये जा रहे हैं।वर्ष 2020–21 में हितग्राही श्री बनबारी रावत पुत्र श्री उम्मेद को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चयन किया गया जब इसकी जानकारी बनबारी रावत पुत्र श्री उम्मेद को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना नही रहा और जिस मकान के बारे में कभी सपने में नही सोचा वह सपना साकार होने लगा। आवास

निर्माण में थोडी परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन आवास कार्य पूरा हुआ और वर्तमान में हितग्राही श्री बनबारी रावत पुत्र श्री उम्मेद एवं उसका पूरा परिवार पक्के मकान में निवासरत है।

श्री बनबारी रावत पुत्र श्री उम्मेद का वर्तमान निवासरत घर का फोटो

जीवन में परिवर्तन –

हिमग्राही श्री बनबारी रावत पुत्र श्री उम्मेद का पक्का छत वाला मकान होने से कई प्रकार के परिवर्तन आये जैसे रिस्तेदार छोटा ,कच्चा मकान होने पर घर आने से कतराते थे अब वो घर आने लगे है । विना किसी परेशानी के अव पक्के मकान में निवास कर रहे है । हितग्राही का सामाजिक स्तर बदल गया है ।

निष्कर्ष –

प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (सच हुआ सपना , घर हुआ अपना) एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा गरीब व्यक्तियों को जो कभी एक पक्के छत वाले मकान का सपना देखते थे आज आसानी से पूरा हो गया । एवं बहुत सी ग्राम पंचायतों का नक्शा बदल गया । हितग्राही श्री बनबारी रावत पुत्र श्री उम्मेद ने केन्द्र एवं राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

उमेश मिश्रा,
संकाय सदस्य

मध्य प्रदेश में सूर्य शक्ति अभियान – सौर ऊर्जा से रोशन होंगी पंचायतें

मध्यप्रदेश में सूर्य शक्ति अभियान के जरिए पंचायतों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनवरी 2023 तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की है योजना। अनूठा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को पूर्ण करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

मध्यप्रदेश में पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी आय बढ़ाने के उपायों के साथ साथ उन मदो को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन पर पंचायतों के संसाधन अधिक व्यय होते हैं तथा जिन्हें वैकल्पिक स्रोत अपनाकर कम किया जा सकता है।पंचायतों के लगातार अधिक व्यय वाले मदो में विद्युत देयकों का भुगतान एक प्रमुख मद है।पंचायतों द्वारा किए जाने वाले भुगतानों में बड़ा हिस्सा नल जल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट तथा कार्यालय के विद्युत उपयोग के लिए किए जा रहे विद्युत देयकों के भुगतान का है। इसका प्रमुख कारण पंचायतों में विद्युत आपूर्ति परंपरागत ऊर्जा के विद्युत स्रोतों से की जाती है।

प्रदेश में अब पंचायतों को रोशन रखने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिए मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूर्य शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए गांव की स्ट्रीट लाइट, नल जल प्रदाय योजना, कार्यालय और अन्य कार्यों में सौर बिजली का उपयोग किया जाएगा।

क्रियान्वयन के प्रमुख बिंदु

- पहले चरण में 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली 714 ग्राम पंचायतों तथा सभी जिला एवम जनपद पंचायत कार्यालयों को सूर्य शक्ति अभियान में शामिल किया गया है।
- पंचायतों में विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन में परंपरागत बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में जिला एवम जनपद पंचायत कार्यालयों तथा ग्राम पंचायतों की कुल मासिक विद्युत खपत का आंकलन किया जा रहा है। पंचायतों में प्रतिदिन जितनी बिजली की खपत होती है उसके बराबर विद्युत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

- पंचायतों के ऊर्जा खपत और उसके अनुरूप सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की क्षमता निर्धारण के लिए पंचायतों का ऊर्जा ऑडिट किया जा रहा है।

- इसके लिए राशि की व्यवस्था 15 वें वित्त, राज्य वित्त तथा पंचायतों की स्वयं की आय के स्रोतों से की जाएगी।
- बेहतर परिणामों के लिए पंचायतों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- सूर्य शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला एवम जनपद पंचायतें तथा ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत की बिजली उत्पन्न करने के लिए भवनों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करेंगी।
- 26 जनवरी 2023 तक अधिकांश पंचायतों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जावेगी।

अभियान से पंचायतों को होने वाले लाभ

- पंचायतों में सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने से नियमित विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। उसमें भी शासन द्वारा निर्धारित सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- उत्पादित सौर बिजली का उपयोग गांव की स्ट्रीट लाइट, नल जल प्रदाय योजना, कार्यालयों में उपयोग के साथ साथ अन्य कार्यों में किया जा सकेगा।
- परंपरागत बिजली बिल पर होने वाला व्यय कम होगा जिससे इस बचत राशि का उपयोग पंचायतों द्वारा विकास कार्यों में किया जा सकेगा।
- परंपरागत ऊर्जा की खपत में जो कमी आएगी उसके आधार पर कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त किया जाएगा।पंचायतों को इससे अतिरिक्त आमदनी होगी।
- मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है इससे ग्राम पंचायतों का बिजली पर होने वाला व्यय बढ़ेगा। सौर ऊर्जा से पंचायतों में भविष्य में बिजली पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।

सूर्य शक्ति अभियान पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगा। ऐसी पंचायतें जो अपनी विद्युत खपत के बराबर सौर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो जाएंगी उन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा सौर समृद्ध ग्राम पंचायत घोषित कर पुरस्कृत किया जाएगा।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.